IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 331/2024

IN THE MATTER OF:
Yogesh Kumar

Applicant

Versus

Union of India & Ors.

Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Page no.
1.	**REPLY ON BEHALF OF THE STATE OF UTTAR PRADESH**	1 - 6
2	A TRUE COPY OF LETTER DATED 28.08.2024 FROM CHIEF ENGINEER (YAMUNA) TO CHIEF ENGINEER LEVEL-1 (WEST), IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, U.P., MEERUT MARKED AS ANNEXURE-1	7
3	A TRUE COPY OF LETTER DATED 28.08.2024 FROM SUPERINTENDING ENGINEER, THIRD DIVISION IRRIGATION WORKS, AGRA TO CHIEF ENGINEER (YAMUNA) MARKED AS ANNEXURE-2	8
4	A TRUE COPY OF LETTER DATED 27.08.2024 FROM EXECUTIVE ENGINEER, HEAD WORKS DIVISION AGRA CANAL, OKHLA TO SUPERINTENDING ENGINEER, THIRD DIVISION IRRIGATION WORKS, AGRA MARKED AS **ANNEXURE-3**	9

5	A TRUE COPY OF MANAGEMENT PLAN FOR OKHLA BIRD SANCTUARY (2022-23 TO 2031-32) MARKED AS **ANNEXURE-4**	10 - 12
6	A TRUE COPY OF GAZETTE OF INDIA NOTIFICATION REGARDING OKHLA BIRD SANCTUARY MARKED AS **ANNEXURE 5**	13 - 14
7	A TRUE COPY OF NOC GRANTING PERMISSION FOR ROAD REPAIRS THROUGH DIVISIONAL FOREST OFFICER, GAUTAM BUDHA NAGAR AS ANNEXURE 6	15

THROUGH

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
COUNSEL FOR IRRIGATION DEPARTMENT,
STATE OF UTTAR PRADESH
F-13, GROUND FLOOR,
JANGPURA, NEW DELHI - 110014

DATE : 11.09.2024

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 331/2024

IN THE MATTER OF:
Yogesh Kumar

Applicant

Versus

Union of India & Ors.

Respondents

REPLY ON BEHALF OF THE IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, STATE OF UTTAR PRADESH

The present reply/ response on behalf of the Irrigation And Water Resources Department respectfully submits this reply in response to the Original Application No. 331/2024 approved by the Principal Secretary of the Irrigation and Water Resources Department filed by the deponent.

1. The Irrigation Departments of Uttar Pradesh acknowledges the concerns raised in the Original Application regarding alleged illegal construction activities within the Okhla Bird Sanctuary. The Irrigation Department is committed to environmental protection and sustainable development. The Department clarifies that the construction activities in question pertain to the repair and maintenance of an existing road on the left afflux bund of the Okhla Barrage. This road is essential for the operation and maintenance and safety of the barrage, which serves critical irrigation and flood control purposes. A true copy of the letter dated 28.08.2024 from Chief Engineer (Yamuna) to Chief Engineer Level-1 (West), Irrigation and Water Resources Department, U.P., Meerut marked as **Annexure-1**; a true copy of letter dated 28.08.2024 from Superintending Engineer, Third Circle Irrigation Works, Agra to Chief Engineer (Yamuna) marked as **Annexure-2**

2. The Irrigation Department asserts that the road repair was undertaken in response to urgent directives from the District

Magistrate, Gautam Budh Nagar, and the Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar, due to the dilapidated condition of the road and the potential risks it posed to the safety and security of the barrage. The Department emphasises that the repair work was limited to the existing road alignment and did not involve any new construction or expansion into the sanctuary area. The work was carried out with utmost care to minimize any environmental impact. A true copy of the letter dated 27.08.2024 from Executive Engineer, Head Works Division Agra Canal, Okhla to Superintending Engineer, Third Circle Irrigation Works, Agra marked as **Annexure-3**

3. The Irrigation Departments of Uttar Pradesh specifically denies the following allegations and averments made in the Original Application :
    a. Illegal Construction: The Department submits that the repair and maintenance of the existing road does not constitute illegal construction as it is essential for the proper functioning and safety of the Okhla Barrage, a critical infrastructure project. The Irrigation Department further submits that the repair work was undertaken in compliance with all applicable environmental norms and regulations. The work was carried out under the supervision of qualified engineers and environmental experts, and all necessary precautions were taken to minimize any environmental impact.
    b. Construction of Wall: The Department clarifies that no wall has been constructed within the Okhla Bird Sanctuary. The repair work was confined to the road surface along with parapet and did not involve any wall construction.
    c. Use of Brick, Mortar, etc.: The Department acknowledges that some brick and mortar were used in the repair work, but this was limited to minor patching and filling of potholes on the existing road. The use of these materials was necessary to ensure the durability and safety of the road.
    d. Disturbance to Ecological Balance: The Department asserts that the repair work was carried out with due consideration for the ecological sensitivity of the sanctuary. The work was limited in scope and scale, and

all necessary precautions were taken to minimize any disturbance to the flora and fauna of the sanctuary.

e. Permanent Construction on Floodplains: The Department clarifies that the road repair does not constitute permanent construction as it is situated on the existing afflux bund, which is an integral part of the Okhla Barrage complex. The afflux bund is designed to withstand floods and is not susceptible to inundation. The Irrigation Department submits that the repair and maintenance of the existing road on the left afflux bund of the Okhla Barrage is permissible under the Wildlife (Protection) Act, 1972, as it is essential for the proper management and protection of the sanctuary. A copy of the Management Plan for Okhla Bird Sanctuary (2022-23 to 2031-32) marked as **Annexure-4**

4. The Department submits that the repair and maintenance of the existing road on the left afflux bund of the Okhla Barrage is permissible under the Wildlife (Protection) Act, 1972, as it is essential for the proper management and protection of the sanctuary. The land ownership of the sanctuary rests with the U.P. Irrigation Department, and the water level maintenance and construction of any permanent structure within the sanctuary are under the department's control. The primary aim of the barrage is water diversion into the canal and flood management. The ecological aspect of the wetland is being considered in the process. The ownership of the road also falls within the jurisdiction of the Irrigation Department. A true copy of Gazette of India notification regarding Okhla Bird Sanctuary marked as **ANNEXURE 5**

5. It is most respectfully submitted that this maintenance work is only carried out on a regular basis after the NOC taken by the concerned DFO because it is a reserve forest area and declared notified bird sanctuary, the answering respondent humbly submits that if this road is not maintained properly then in case of an unfortunate incident or heavy rain or flood this might break and will consequence as half of Noida will be flooded, considering school collages and residential areas near the

sanctuary. So this is the urgency for the repairs to be done. A true copy of the NOC is marked as **ANNEXURE 6**

Prayer

In light of the foregoing submissions, the Irrigation and Water Resources Department of Uttar Pradesh respectfully prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

1. Dismiss the Original Application No. 331/2024 filed by Yogesh Kumar for placing wrongful information on the construction of the wall.
2. Pass any other order or direction that this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.
3. Allow the deponent department to complete the maintenance work for the safety and security of the Okhla Bird Sanctuary.

Priyanka

DATE : 11.09.2024

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
COUNSEL FOR IRRIGATION DEPARTMENT,
STATE OF UTTAR PRADESH
F13, GROUND FLOOR, JANGPURA, NEW DELHI - 110014

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 331/2024

IN THE MATTER OF:
Yogesh Kumar   Applicant

Versus

Union of India & Ors.   Respondents

AFFIDAVIT

NOTARY RENU AGARWAL Delhi Regd. No. 17806 GOVT. OF INDIA

I, **Dinesh Kumar Panduval** aged about **59 years** s/o **Shri Krishna Sahai** is presently posted Chief Engineer **(Yamuna)** having an office at Canal Colony Okhla New Delhi 110025 presently in Delhi.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying report has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. That the contents of the accompanying additional affidavit are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY RENU AGARWAL Delhi Regd. No. 17868 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this 11 SEP 2024 _____ day____ of 2024, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

D/4476/2010

Priyanka...

I identified the deponant who has signed in my presence

DEPONENT

New Delhi

ATTESTED

NOTARY PUBLIC (INDIA)

11 SEP 2024

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (यमुना)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0
ओखला, नई दिल्ली–25

पत्रांक नि 1729/मु0अ0य0/कोर्ट केस/एन0जी0टी0 दिनांक 28.08.2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–331/2024, योगेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–331/2024, योगेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.07.2024 के अनुपालन में विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य आगरा के पत्रांक 7584/3/कोर्ट केस दिनांक 28.08.2024 द्वारा उपलब्ध नैरेटिव/बिन्दुवार आख्या अद्योहस्ताक्षरी के हस्ताक्षरोपरान्त रिट याचिका की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त नैरेटिव/बिन्दुवार आख्या को शासन से अनुमोदित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः यथोक्त।

28.8.24

(दिनेश कुमार पाण्डुवाल)
मुख्य अभियन्ता (यमुना)

पत्रांक नि /मु0अ0य0/कोर्ट केस/एन0जी0टी0/ दिनांक .08.2024

1. प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य आगरा को उनके पत्रांक 7584/3/कोर्ट केस दिनांक 28.08.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वाद की समीक्षा एवं अनुश्रवण करते हुए प्रकरण में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
3. प्रतिलिपि पैरोकार/अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विषयक प्रकरण में उच्चाधिकारियों/शासन से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हुए अनुमति प्राप्त कर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करें।

(दिनेश कुमार पाण्डुवाल)
मुख्य अभियन्ता (यमुना)

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य,
आगरा।

पत्रांकः 7584/3/कोर्ट–केस/ दिनांकः 28.08.2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओ0ए0 संख्या–331/2024 योगेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में नैरेटिव/बिन्दुवार आख्या अनुमोदन हेतु।

सन्दर्भः आपका पत्रांकः नि–1651/मुअय/कोर्टकेस/एनजीटी/दिनांकः 20.08.2024

मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिचांई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.07.2024 के अनुपालन अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी नैरेटिव/बिन्दुवार आख्या (रिट याचिका सहित) शासन से अनुमोदन हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

28/8/2024

अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य,
आगरा।

पत्रांकः /3/कोर्ट–केस/तदिनांकः

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला नई दिल्ली–25 को उनके पत्रांकः 3211/है0व0ख0/कोर्टकेस/दिनांक 27.08.2024 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नैरेटिव/बिन्दुवार आख्या को शासन स्तर से अनुमोदन कराते हुए प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कराना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य,
आगरा।

Sh. Narendra
28.8.24

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

पत्रांकः 3211 /**है0व0ख0/कोर्ट–केस/** **दिनांकः** 27/8/2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओ0ए0 संख्या–331/2024 योगेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में नैरेटिव/बिन्दुवार आख्या अनुमोदन हेतु।

सन्दर्भः आपका पत्रांकः 7419/3/कोटकेस/दिनांकः 22.08.2024

अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिचांई कार्य, आगरा।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.07.2024 के अनुपालन में नैरेटिव/बिन्दुवार आख्या रिट याचिका सहित तैयार कर शासन से अनुमोदन हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

पत्रांकः /है0व0ख0/कोर्ट–केस/तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को उनके पत्रांकः नि–1651/मुअय/कोर्टकेस/एनजीटी/दिनांकः 20.08.2024 के क्रम में।
2. सहायक अभियन्ता–प्रथम/पैरोकार अधिकारी, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला नई दिल्ली–25 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नैरेटिव/बिन्दुवार आख्या को शासन स्तर से अनुमोदन कराते हुए प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

Management Plan for Okhla Bird Sanctuary

(2022-23 to 2031-32)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

routes. Adjacent land use 250 - 300 m from the wetland affects plant diversity. The increasing infrastructural development in the zone of influence of the OBS, coupled with increased pollutant load in the Yamuna River will have a range of potentially significant impact on this wetland and its species composition.Infrastructure developments such as, railways, roads, airports, mines, buildings, wind- turbines, power lines and pipe lines are a major source of ecosystem damage and habitat loss, which can have a variety of impacts on waterbirds. Such impacts may also be exacerbated by the tendency for some waterbirds to congregate in large numbers, such as at migration and wintering sites. Furthermore, some migratory species rely on a network of a few specific sites along a flyway over their annual cycle. In view of above discussion this Chapter describes the problems and issues of OBS which may put it in the risk.

5.4.1 Inadequate co-ordination between inter & intra state departments

OBS is an inter-state protected area that falls in the states of Delhi and Uttar Pradesh. As a result, different interstate issues, like, inadequate coordination between the interstate departments are there which negatively affect the management of the Sanctuary. In the present scenario, the area declared as Sanctuary is under the control of Forest Department (U.P.). The part of the Sanctuary that falls in the U.P. side is well managed compared to the part in the Delhi side. Consequently, the Delhi part of the Sanctuary faces severe biotic pressures.

The land ownership of the Sanctuary is with the U.P. Irrigation Department. Water level maintenance and construction of any permanent structure within the Sanctuary is under the control of Irrigation Department. The primary aim of the barrage is water storage and abstraction and flood control. Water level in the Barrage is maintained according to the agricultural and other requirements. The ecological aspect of the wetland is being ignored in the process and hence is affecting the flora and fauna of the Sanctuary. The ownership of roads also falls with the Irrigation Department. As a result, maintenance of the roads gets delayed because the irrigation department cannot obtain necessary permissions to carry out

work. Similar situation arises during maintenance of barrage and creating control room ... barrage.

...ence of a unified coordination body, which can bring all the concerned departments on ...gle platform, is one of the root causes behind such coordination gap. Lack of awareness ...ng stakeholders and policy makers on the biological values of OBS is also a reason, which ...ders communication among them. Thus, roles and responsibilities of the concerned ...orities in protecting this unique habitat are still ambiguous.

...2 Land Tenure and Ownership Issues

...construction of Okhla Barrage and resulting lake, inundated lands of some people, who ...re supposed to be given the compensation, but over the years the ownership and the ...mpensation issues could not be resolved (although the irrigation department claims to ...ve paid compensation, some people dispute it). Subsequently, some conflict over the right ...the land inside the Sanctuary persists. The issue strongly came out during the stakeholder ...eeting as well. A meeting was held between the local villagers and the forest department.

...4.3 Development activities in surrounding areas

...ue to its location amidst a large metropolitan city, OBS faces various anthropogenic ...essures from the surrounding human habitation. As per the Environment (Protection) Act, ...86 Eco-sensitive zones can be declared around wildlife sanctuaries. In case of OBS, ...rounding areas, except areas next to the northern and southern boundaries of the Sanctuary, are highly urbanized and development activities are imperative. This sometime leads to conflict of interest and litigation.

...4 Habitat modification and degradation

...e other protected areas OBS is facing serious threats from habitat modification and degradation. In spite of its small area, OBS is known to have mosaic of interesting habitats. Such diverse habitats are one of the main reasons behind the rich avifauna of the Sanctuary. Hence, any change in the habitats directly affects the biodiversity of the Sanctuary.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1761] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2015/श्रावण 26, 1937
No. 1761] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2015 /SRAVANA 26, 1937

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त , 2015

का.आ. 2262 (अ).- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2499(अ) तारीख 24 सितंबर, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य में ओखला पक्षी अभ्यारण्य के चारो और पारिस्थितिक संवेदी जोन घोषित करने के लिए, प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां तारीख 24 सितम्बर, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रस्तावित प्रारूप अधिसूचना के संबंध में, सभी व्यक्तियों तथा पणधारियों से प्राप्त सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

और, केंद्रीय सरकार ओखला पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में उस स्थान पर अवस्थित है जहां यमुना नदी राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली(एनसीटी) को छोड़ती है और उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है;

और ओखला पक्षी अभयारण्य की सीमाएं निम्नानुसार हैं:-

उत्तर : अभयारण्य की उत्तरी सीमा ओखला मेड और ओखला मेड बंध; यमुना और हिंडन नदी दिल्ली नोएडा सीधा उपरी पुल के निकट के खंड में अभयारण्य में प्रवेश करती है किंतु इस तरफ से फ्लाई ऑवर के लिए कोई प्रवेश नहीं है ;

दक्षिण: ओखला बैराज, टाई बंध, आम्रपाली मार्ग (वह मार्ग जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है) और शाहदरा नाला दक्षिणी सीमा का निर्माण करते हैं। अधिकांश सीमा पर वाड़ है ;

पूर्व : बायां प्रवाह बंध पूर्वी सीमा का निर्माण करता है । बायां प्रवाह बंध एक तटबंध है जो नजदीक के क्षेत्रों में जल के प्रवेश का निवारण करता है । यह 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसका उपयोग सड़क के रूप में किया जाता है ;

पश्चिम : दायां सीमांत बंध पश्चिमी सीमा का निर्माण करता है । इस बंध का भागतः बाड़ द्वारा और भागतः एक दीवार द्वारा संरक्षण किया जाता है ।

और ओखला पक्षी अभयारण्य विभिन्न प्रकार के बड़ी संख्या में जलीय पक्षियों के आवास के रूप में जाना जाता है और प्रवासी तथा निवासी पक्षियों (लगभग 6,000 पक्षियों की 324 प्रजातियां) को सर्दियों के दौरान सूचीबद्ध किया गया है और इस अभ्यारण्य में आने वाले महत्वपूर्ण पक्षियों में कोर्मोरेंट्स, हैरोन्स, इग्रेट्स, डार्टर, कूट, बत्तखें आदि भी हैं ;

और अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र तथा उसमें पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के प्रसार का सुधार करना और उनका विकास करना तथा उसके पर्यावरण का संरक्षण और परिरक्षण आवश्यक है ;

और ओखला पक्षी अभयारण्य की पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से सौ मीटर तक के क्षेत्र का और उत्तरी सीमा से 1.27 किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक हो गया है और पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से एक किलोमीटर क्षेत्र के भीतर और ओखला पक्षी अभयारण्य की दक्षिणी सीमा से 1.27 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक खनन कार्यकलापों का प्रतिषेध करना आवश्यक हो गया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में ओखला पक्षी अभयारण्य की पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से सौ मीटर तक के क्षेत्र को और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की उत्तरी सीमा से 1.27 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ओखला पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) ओखला पक्षी अभयारण्य की उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के दक्षिण पूर्व जिले से सौ मीटर से 1.27 तक पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से सौ मीटर तक और ओखला पक्षी अभयारण्य की उत्तरी सीमा से डीएनडी फ्लाई ऑवर तक नदी तल के विस्तार तक 1.27 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिणी पूर्वी जिले तक फैला हुआ है ।

(3) ओखला पक्षी अभयारण्य के चारों ओर का पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इस अधिसूचना के **उपाबंध 1** के रूप में संलग्न है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन की बाहरी सीमा के महत्वपूर्ण बिंदूओं को उपदर्शित करने वाले निर्देशांक इस अधिसूचना के साथ **उपाबंध 2** के रूप में संलग्न है ।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले दस शहरी क्षेत्र या ग्राम उनके स्थायी बिंदुओं पर अक्षांश और देशांतर सहित इस अधिसूचना के साथ **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध हैं :

परंतु उपाबंध 3 पारिस्थितिक संवेदी जोन की संबंधित आंचलिक महायोजना में राज्य सरकारों द्वारा पुष्टि किए जाने के अध्यधीन होगा ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) संबंधित राज्य सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर स्थानीय लोगों और निम्नलिखित संबंधित राज्य विभागों में परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी तथा जो कि उत्तर प्रदेश / राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी, अर्थात् :-

(i) वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंधन ;

(ii) उत्तर प्रदेश या दिल्ली पुलिस ;

(iii) शहरी आवास विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) ग्रामीण प्रबंधन और विकास ;

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक 108 /22-1 दिनॉक गौतमबुद्धनगर 7-7- 2023।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली

विषय:— कॉवड यात्रा हेतु बॉये एफलक्स बन्धे पर निर्मित सडक मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ:— इस कार्यालय का पत्रांक 3259/है0व0ख0/अनुमति दिनांक 26-06-2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र आप द्वारा जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर को सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित करते हुए अवगत कराया है कि बॉये एफलक्स बन्धे पर निर्मित सडक का कई वर्षो से मरम्मत कार्य नही हुआ है एवं मरम्मरत कार्य हेतु अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 01-07-2023 जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं मार्ग के निरीक्षण के दौरान कॉवड यात्रा के दृष्टिगत मार्ग की मरम्मत कार्य कराने हेतु मौखिक निर्देश दिये गये थे। आज दिनांक 07-07-2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त मार्ग का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ है कि आप द्वारा अभी तक सडक का मरम्मत कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है जबकि वन विभाग एवं प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से साफ-सफाई आदि का कार्य किया जा रहा है।

आपके कार्यालय के पत्रांक 2976/है0व0ख0/अनुमति दिनांक 09-06-2023 के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 7363/22-1 दिनांक 26-06-2023 क्षेत्रीय वन अधिकारी, ओखला पक्षी विहार को तत्काल आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी, ओखला पक्षी विहार द्वारा अपने पत्रांक 142/23-1 दिनांक 27-06-2023 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, ओखला पक्षी की आख्या एवं आप द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक 7388/33-3 दिनांक 27-06-2023 एवं पत्रांक 25/33-3 दिनांक 01-07-2023 द्वारा वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त को पत्र मे उल्लिखित कार्यो को कराने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु प्रकरण उच्च स्तर को संदर्भित करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गय है।

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त द्वारा कार्य की गम्भीरता को देखते हुए अपने पत्रांक 54/14-1 दिनांक 04-07-2023 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ को कार्य करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि कार्य की अनुमति प्रदान होने प्रत्याशा में जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 01-07-2023 को दिये गये निर्देश के कम में सडक का मरम्मत कार्य तत्काल कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक / दिनॉक्ति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा मे सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, महोदय पश्चिमी क्षेत्र मेरठ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक / दिनॉक्ति।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

Scanned with OKEN Scanner